न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/208/2017	18–12–2017	27–02–2019

01– मामूरा पुत्र असरफ जाति मेव
02– इलियास पुत्र असरफ जाति मेव निवासी साहडोली तहसील रामगढ़, जिला अलवर राज०

अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़
दिनांक 25.09.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू०
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 305/2017

उपस्थितः–

01–श्री पवन सिंह चौहान —वकील अपीलाण्ट

–ःनिर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 25.09.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट का ग्राम साहडोली की गैर मुमकिन चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 887 रकबा 2.70 है0 में से 0.80 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम साहडोली की गैर मुमकिन चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 887 रकबा 2.70 है0 में से 0.80 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 31.07.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 25.09.2017 के विरूद्ध दिनांक 18.12.2017 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 18.12.2017 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोडना बताया गया है तथा भविष्य मे अतिक्रमण नहीं करने का निवेदन किया है। तहसीलदार रामगढ की रिपोर्ट दिनांक 09.08.2018 में भी अपीलांट का कब्जा नहीं होना बताया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रिमाण्ड की जाती है। तहसीलदार रामगढ प्रकरण का मौका देखकर यह तय करे कि यदि मौके से अतिक्रमण हटा दिया गया है तो कार्यवाही समाप्त करे एवं यदि मौके पर अतिक्रमण यथावत पाया जाता है तो अतिक्रमी के विरूद्ध एल आर एक्ट की धारा 91(6) के तहत सख्त कार्यवाही करे।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में पुनः 26.03.2019 को सुनवाई हेतु रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27–02–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)